




15-9-16

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/  
अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/प्राथी/अप्राथी/उभयपक्ष  
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन  
अधिकारी समय पर ~~का~~ अटकाश पर है/अन्य  
कार्य में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-9-16  
को पेश हो। अप्राथीगण काबजुद सूचना  
उपस्थित नहीं है। 


22-9-16 वकील प्राथीगण उपस्थित हैं। अप्राथीगण काबजुद  
सूचना उपस्थित नहीं है। अतः इनके विरुद्ध  
संकतरफा कार्यवाही की जाती है। बहस हेतु  
पत्रावली दि० 4-10-16 को पेश हो। न. इ. आदेश  
आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है। 

4-10-16

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील  
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब  
दौर पर है। अटकाश पर है/का स्थानान्तरण  
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 27-10-16  
को पेश हो। 


रीडर

27-10-16


पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील  
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब  
दौर पर है। अटकाश पर है/का स्थानान्तरण  
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 10-11-16  
को पेश हो। 

रीडर

10-11-16

वकील ~~अप्राथीगण~~ प्राथीगण उप०। बहस हेतु पत्रा०  
दि० 12-11-16 को पेश हो। न. इ. आदेश. आगामी  
पेशी तक बढ़ाया जाता है। 

12-11-16

वकील प्राथीगण उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली पर  
उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम  
खण्ड 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786  
ग्राम चूली के रेकार्ड व मौके की ताफैसला दावा  
यथास्थिति क्लार ररवने हेतु अप्राथीगण को जरिस्त  
अस्थाई निषेधाज्ञा पारक किया जाता है। पत्रावली  
फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील  
मूल वाद के साथ संलग्न रहे। 

(मुनिदेव यादव)

उप जिला कलेक्टर  
गंगापर सिटा